नालसा (लीगल सर्विसेज टू पर्सन्स विद मेंटल इलनेस एंड पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटीज़) स्कीम, 2024

हर व्यक्ति केवल सहानुभूति ही नहीं, बल्कि न्याय का भी हकदार है।

मानसिक स्वास्थ्य – अधिकार, सम्मान, समावेश

यह योजना क्यों?

मानसिक रुग्णता अथवा बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्ति प्राय: अपने अधिकारों को समझने अथवा विधिक प्रणाली में सहायता प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव करते हैं, जिससे वे शोषण, लाभों से वंचित होने तथा अन्याय के प्रति असुरक्षित हो जाते हैं। यह योजना नि:शुल्क, सुलभ एवं समावेशी विधिक सहायता प्रदान कर इस अंतराल को पाटती है तथा यह सुनिश्चित करती है कि नि:शक्तता कभी भी गरिमा, समानता अथवा न्याय में बाधा न बने।

सहायता कौन प्राप्त कर सकता है?

- मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति
- बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्ति
- मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों में निवासरत व्यक्ति
- मानसिक रुग्णता अथवा बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त बंदी

गरिमा, समानता, न्याय – किसी भी व्यक्ति को पीछे छोड़े बिना

क्या सहायता प्रदान की जा सकती है?

- प्रशिक्षित पैनल अधिवक्ताओं, लीगल ऐड डिफेंस कॉउंसेल्स (LADCs) तथा पैरा-विधिक स्वयंसेवकों (PLVs) के माध्यम से नि:शुल्क विधिक सहायता।
- दीवानी, आपराधिक, प्रशासनिक या संबंधित मामलों में सहायता।
- पुलिस थाने में लाए गए व्यक्तियों को तत्काल विधिक सहायता एवं परामर्श।
- जाँच से लेकर विचारण तक प्रत्येक चरण में सहायता।
- व्यक्ति एवं उनके परिवार अथवा संरक्षक के साथ संपूर्ण विचारण-पूर्व तैयारी।
- सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों, सुविधाओं एवं सेवाओं तक पहुँच में सहायता।
- मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच के अधिकार तथा क्रूर, अमानवीय एवं अपमानजनक व्यवहार से संरक्षण के अधिकार की सुरक्षा।
- विधिक सहायता क्लिनिक में आने में असमर्थ व्यक्तियों हेतु गृह-आधारित विधिक सहायता सेवाएँ।

मानसिक रुग्णता अथवा बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्ति सहायता कहाँ प्राप्त कर सकता है?

- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण *(DLSAs)*
- तालुक विधिक सेवा समितियाँ *(TLSCs)*
- फ्रंट ऑफिस, विधिक सहायता क्लिनिक
- मनो न्याय विधिक सेवा क्लिनिक
- मानसिक स्वास्थ्य स्थापन
- पुलिस थाने, न्यायालय, जिनमें विशेष न्यायालय भी सम्मिलित हैं
- रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन
- भिक्षुक गृह, महिला संरक्षण गृह, बाल देखरेख संस्थाएँ, शरण गृह
- जेल
- तालुकाएँ
- गृह भ्रमण द्वारा

विशेष सहायता प्रणाली

- प्रत्येक जिले में लीगल सर्विसेज यूनिट फॉर पर्सन्स विद मेंटल इलनेस एंड पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटीज़, जिसे **मनोन्याय (LSUM)** नाम दिया गया है, की स्थापना की गई है।
- प्रशिक्षित पैनल अधिवक्ताओं, लीगल ऐड डिफेंस कॉउंसेल्स (LADCs) तथा पैरा-विधिक स्वयंसेवकों (PLVs) द्वारा विशिष्ट विधिक सहायता प्रदान की जाती है।
- नि:शक्तता के प्रति संवेदनशील एवं व्यक्ति-केंद्रित विधिक सेवाएँ, जो प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता के अनुरूप अनुकूलित हैं।
- परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य तथा नि:शक्तता-संबंधी सहायता हेतु विशेषज्ञों की उपलब्धता।
- मनोचिकित्सकों एवं समाज कार्यकर्ताओं के सहयोग से विधिक जागरूकता एवं जनसंपर्क कार्यक्रमों का आयोजन।
- मानसिक रुग्णता अथवा बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त बंदियों के विधिक अधिकारों के संबंध में जागरूकता एवं सहायता।

स्मरण रखें

- विधिक सेवाएँ पूर्णत: नि:शुल्क हैं।
- प्रत्येक व्यक्ति को न्याय, संरक्षण एवं गरिमा का अधिकार है।
- मानसिक रुग्णता अथवा बौद्धिक अक्षमता कभी भी अधिकारों को कम नहीं करती।
- किसी भी व्यक्ति को भेदभाव, कलंक अथवा बहिष्करण का सामना नहीं करना चाहिए।
- प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित, गरिमापूर्ण एवं सहायक वातावरण में सुना जाने का अधिकार है।
- युक्तियुक्त आवासन एवं आवश्यक सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

क्या करें

- सहानुभूतिपूर्वक सुनें
- गरिमा एवं विकल्पों का सम्मान करें
- सहायता एवं युक्तियुक्त आवासन प्रदान करें
- न्याय तक समान पहुँच सुनिश्चित करें
- गोपनीयता बनाए रखें

क्या न करें

- भेदभाव न करें
- कलंकित न करें और न ही किसी प्रकार का लेबल लगाएँ
- उनकी आवाज़ को नज़रअंदाज़ न करें
- गोपनीयता का उल्लंघन न करें
- अधिकारों अथवा विधिक सहायता से वंचित न करें

समान अधिकार, समान अवसर, समान न्याय – प्रत्येक व्यक्ति के लिए

विधिक सहायता हेतु | इस लिंक पर जाएं - https://nalsa.gov.in अथवा https://scourtapp.nic.in/lsams

- विधिक सहायता हेल्पलाइन पर कॉल करें 15100 (Toll-Free 24*7)
- अपने निकटतम एस.एल.एस.ए./ डी.एल.एस.ए. जाएँ
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन (टेली मानस) पर कॉल करें 14416 (टोल-फ्री)

प्रत्येक व्यक्ति महत्त्वपूर्ण है | गरिमा, समावेश एवं न्याय हेतु एकजुट

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

Follow us on

nalsa.india.1 | nalsalegalaid | NalsaLegalAid | @NALSA | National Legal Services Authority

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग